ONE RUPEE

C.SP5|51

न्यायालय माननीय मध्यप्रदेश राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

अपील क्रमांक / 2003 -04

148

A. 1681-III/03

श्री आर.के. व्यास एडवोकेट
द्वारा आज दि० 14/11/03 को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

14 NOV 2003

आम जनता ग्राम गंजपुरा द्वारा

1. शोभाराम मालवीय पुत्र गनपत जी उम्र 65 साल धंधा पेंशनर शिक्षक
2. अमराजी पुत्र बापूलाल आयु 65 साल धंधा चर्मकारी
3. दरियाव मालवीय पुत्र भेरूलाल आयु 65 साल धंधा खेती
4. शिवनारायण पुत्र रामाजी आयु 30 साल जाति कुम्हार धंधा कुम्हारी
5. गोरधन लाल टेलर पुत्र शंकरलाल आयु 40 साल धंधा खेती
6. पीरूसिंह कुशवाह पिता शंकरलाल आयु 45 साल धंधा खेती
7. मेहरबान सिंह पुत्र प्रहलाद सिह आयु 30 साल धंधा खेती
8. अम्बाराम मिस्त्री पुत्र चेनाजी आयु 50 साल धंधा खेती
9. प्रहलाद सिंह अलपुरिया पुत्र बापूलाल आयु 55 वर्ष धंधा खेती
10. नगजीराम राठौर पुत्र देवीलाल आयु 60 साल धंधा खेती
11. कुंजी लाल मालवीय पुत्र देवाजी आयु 40 साल धंधा खेती

निवासीगण ग्राम गंजपुरा तहसील सोनकच्छ जिला देवास संभाग उज्जैन म.प्र.

......अपीलांट्स

विरूद्ध

1. अहले इस्लाम पंचायत गंजपुरा द्वारा सदर मोहम्मद इलीयास खान पिता रशीद खां आयु 40 साल धंधा वाहन चालक निवासी गंजपुरा तहसील सोनकच्छ जिला देवास संभाग उज्जैन म.प्र.
2. पटवारी मौजा ग्राम गंजपुरा (साबेर) पटवारी हल्का नं. 25 तहसील सोनकच्छ जिला देवास संभाग उज्जैन म.प्र.

...... रेस्पोडेंट

R.K. 47
14/11/03

अपील स्मृति पत्र धारा 44 (2) म.प्र. भू. रा. के अधीन

अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन की अपील प्रकरण क्रमांक 484/ 2002-03 अपील के अंतिम निर्णय आदेश दिनांक 29.7.2003 के विरूद्ध

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील 1681-तीन/2003 **जिला देवास**

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-2-18	प्रकरण का अवलोकन किया गया । प्रकरण मे आवेदक एवं अनावेदक अधिवक्ता सूचना उपरांत दिनांक 19-02-2007 से लगातार अनुपस्थित हैं । न्यायहित में प्रकरण आवेदक के अधिवक्ता की उपस्थिति के लिये दिनांक 23-2-2018 तक अनेक पेशियॉ नियत की जाकर उनकी उपस्थिति का इंतजार किया गया परन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । उपरोक्त स्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक की इस प्रकरण को चलाने में कोई रूचि नहीं है । अत: आवेदक को प्रकरण के निराकरण में कोई रूचि नहीं होने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। अध्यक्ष	